संख्या-178/2021/3956/41-2020-11(बजट-के0यो0)/2019

प्रेषक,

गिरिजापति द्विवेदी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 04 मार्च 2021**

विषय- पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा क्रियान्वित की जा रही पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की प्रासाद योजना के अन्तर्गत वृन्दावन में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेण्टर के निर्माण की योजना हेतु जी0एस0टी0 का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3143,मिस0-118 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से **पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की प्रासाद योजना** के अन्तर्गत स्वीकृत प्रायोजना ,जिनका क्रियान्वयन पर्यटन विभाग उ0प्र0 द्वारा किया जा रहा है ,के परिप्रेक्ष्य में कार्यदायी संस्था- मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण के पत्रांक 758/दि0- 09-09-2020 के माध्यम से की गई मांग के अनुसार जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पर्यटन विभाग , उत्तर प्रदेश द्वारा क्रियान्वित की जा रही पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की प्रासाद योजना के अन्तर्गत वृन्दावन में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेण्टर के निर्माण की योजनान्तर्गत जी0एस0टी0 मद में भुगतान हेतु रू0 39,83,200.00 (रूपये उन्तालिस लाख तिरासी हजार दो सौ मात्र) को सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध कराये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान वास्तविक रूप से जमा की गयी धनराशि की प्रामाणिक रूप से पुष्टि करने के पश्चात ही उपलब्ध कराया जायेगा एवं शासन को इसका विवरण सक्षम स्तर से प्रमाणित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि केन्द्रीय योजना के अर्न्तगत स्वीकृत परियोजना के कार्य के आगणन में जी0एस0टी0 सम्मिलित नहीं है। यदि आगणन दिनांक 01 जुलाई 2017 के पूर्व गठित है तो जी0एस0टी0 का भुगतान करते समय वैट आदि के रूप में सम्मिलित धनराशि का समायोजन सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(3) उपर्युक्त स्वीकृत प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की देयता का भुगतान किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि कार्यदायी संस्था द्वारा स्वीकृत कार्यो का क्रियान्वयन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुरूप किया जा रहा है तथा कराये जा रहे कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त प्रस्तर-2 में आपके निवर्तन पर व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 39,83,200.00 (रूपये उन्तालिस लाख तिरासी हजार दो सौ मात्र) का वहन चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुदान संख्या-44 के लेखाशीर्ष-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0109-प्रासाद स्कीम के अन्तर्गत पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं का सृजन-24-वृहत निर्माण कार्य की मद में उपलब्ध धनराशि के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव ।

संख्या-178/2021/3956/41-2020-11(बजट-के0यो0)/2019 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4- आयुक्त/जिलाधिकारी सम्बन्धित मण्डल/जिला ।
5- निजी सचिव,प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-1/2।
9- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
10- सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0।
11- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
12- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।